गांधी स्मारक निधि का मासिक मुखपत्र

संस्थाकुल

वार्षिक सहयोग राशि	:	रु. 20.00
एक प्रति	:	रु. 2.00
कुल पृष्ठ	:	12

दिसम्बर, 2023 वर्ष – 54 अंक – 9

तत्व–चिन्तन

सत्याग्रह का आधार और उसकी मर्यादा

आचार्य विनोबा

इन दिनों हमारे बीच मतभेद बहुत दिखायी देते हैं। मतभेद होना कोई बुरी बात नहीं। परंतु जो मतभेद सच्चा है और जो मतभेद दीखता है, उसमें फर्क करना चाहिए। मत का अर्थ है स्वतंत्र मन की बात। हमारा मन स्वतंत्र रूप से जो बात कहता है, वह हमारा मत है। परंतु हमारे मन की स्थिति इंग्लैंड के राजा जैसी होती है। क्या इंग्लैंड का राजा स्वतंत्र रूप से कुछ कर सकता है ? पार्लियामेंट निश्चय करती है, औपचारिक मंजूरी के लिए वह राजा के सामने भेजती है और वह उस पर अपने दस्तखत कर देता है। हमारे मन की स्थिति भी ऐसी ही है। इंद्रियां कुछ–न–कुछ प्रस्ताव करती हैं और मन उस पर हस्ताक्षर कर देता है। इतना ही है कि मन का स्वभाव तर्कशील है, इसलिए हस्ताक्षर करने से पहले वह उस प्रस्ताव के पक्ष में उसका समर्थन करनेवाली कोई युक्ति या दलील ढूढ़ लेता है। उसके बगैर उसका समाधान नहीं होता। इंद्रियों के विरुद्ध कोई दलील करना मानो उसके अधिकार की बात नहीं है। साधकों को तर्क करना है, तो वेदों के अनुकूल ही करें, ऐसी एक मर्यादा बनी हुई है। इसी प्रकार मन का व्रत है, इंद्रियों के अनुकूल ही तर्क करना। लेकिन इस प्रकार के मत वास्तविक मत नहीं हैं। यह धोखा है। सबेरे जल्दी उठना इंद्रियां पसंद नहीं करतीं। इसलिए मन को भी ऐसा ही लगता है। वह दलील करने लगता है कि सुबह जल्दी उठना अच्छा नहीं; क्योंकि उससे दिनभर पूरी जाग्रति नहीं रहती। फिर सबेरे जल्दी उठना क्या ईश्वरीय योजना के भी विरुद्ध नहीं है ? यदि ईश्वर की इच्छा होती कि मनुष्य को सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो वह सबेरे अवश्य अधिक प्रकाश देता। इतना हुआ कि हमारा निश्चित मन बन गया। हम कहते हैं कि हर एक को अपना मत स्वतंत्र रखने का अधिकार होना चाहिए। परंतु 'स्वतंत्र' मत का असली अर्थ ही हम नहीं समझे हैं। इंद्रियों को अपने ऊपर अधिकार न करने देते हुए हमारा मन जो बात कहेगा, वह है स्वतंत्र मत। मत का अर्थ जो मन में आये वह नहीं, बल्कि मन जो सोचता है वह। इतनी–सी बात ध्यान में रख ली जाये, तो बहुत–से मतभेद दूर हो जायेंगे।

इंद्रियों का निग्रह करते हुए जो बात हमें निश्चित लगे, उसका प्रचार करना उचित है। परंतु इस प्रकार का प्रचार करने का मुख्य साधन है आचार, उच्चारण नहीं। उच्चारण द्वारा मत–प्रचार करना एक प्रकार का मोह ही है। यह मोह हममें बहुत है। यदि हमारा मत सही है, तो उसके अनुसार आचरण करने से उसका प्रचार अपने–आप हो ही जायेगा। सत्य पर हमारा विश्वास होना चाहिए। उसमें अपना प्रचार करने की स्वयंभू शक्ति होती है। सत्य सूर्य के समान स्वयंप्रकाशी है। जिस प्रकार सूर्य को हम ढांक नहीं सकते, उसी प्रकार सत्य को भी ढांका नहीं जा सकता। आचरण को छोड़कर बाह्य उपायों से उसका प्रचार करने का यत्न करना वृथा है। उसका कुछ भी परिणाम नहीं हो सकता। उससे हिंसा बढ़ती है और असत्य का प्रचार होता है। प्रचार की भी एक सीमा है। सूर्य की प्रचारक शक्ति कितनी जबरदस्त है! परंतु वह भी अपनी मर्यादा संभाले रहता है। इसी

कारण वह संसार का 'मित्र' बन गया है और प्रचार भी करता रहता है। अगर कोई दरवाजा बंद करके सोया है, तो उसकी सेवा करने के लिए वह उसके दरवाजे पर जाकर केवल खड़ा हो जाता है। दरवाजे को धक्का देकर वह अंदर नहीं घुसता। किंतु दरवाजा जरा ढीला हुआ कि वह पूरा–का–पूरा अंदर घुस जाता है। यह है प्रचार की मर्यादा। हमारा मत सही भी हो, तो भी उसका प्रचार हमें स्वाभाविक रीति से ही करना चाहिए। मूक आचरण ही स्वाभाविक प्रचार है। आचरण का मौन टूटा कि हिंसा का प्रवेश हुआ। और हिंसा आयी कि सत्य भागा। पानी से जैसे आग बुझ जाती है, उसी प्रकार हिंसा से सत्य बुझ जाता है। आचरण को छोड़कर प्रचार के प्रयत्न का अर्थ होता है – नग्न हिंसा। प्रचार की जल्दबाजी भी हिंसा ही है। इसके अलावा उसमें अश्रद्धा और अज्ञान तो होता ही है। या दंभ ही क्यों न कहें ? छोटे बच्चे कोई बीज बोते हैं और जरा अंकुर निकलते ही वह जल्दी बढ़े, इसलिए उसे उखाड़ लेते हैं। ऐसी ही है यह बात।

मत अर्थात् 'इंद्रिय–निग्रही' मन की बात। उसके प्रचार का साधन है कृति। ये दो बातें निश्चित हो जाने के बाद सारा आकाश साफ हो जाता है। कृति के साथ–साथ प्रसंगविशेष पर अल्प बोलने की कल्पना कर सकते हैं। कुछ प्रसंगों में अपना मत व्यक्त करने में हर्ज नहीं है। परंतु हम केवल अपनी बात कहें, दूसरे की बात काटने के मोह में न पड़ें। मतप्रतिपादन में अपनी बात कहना और दूसरे की बात काटना इस प्रकार दो भाग किये जाते हैं। यह काल्पनिक है, सत्य नहीं। दीया लगाना और अंधेरा दूर करना ऐसी बात है यह। मूलतः ये दो काम हैं ही नहीं। फिर हम जोर देते हैं दूसरे की बात काटने पर। परंतु दूसरे की बात काटने भर से हमारी बात सिद्ध नहीं होती। इसके विपरीत हम यदि अपनी बात सरलतापूर्वक अच्छी तरह से समझा देते हैं, तो उसके बाद दूसरे की बात काटने की जरूरत ही नहीं रह जाती। यूक्लिड ने कहीं किसी की बात काटने का यत्न नहीं किया है। संक्षेप में अपने सरल सिद्धांत रख दिये हैं। आज इन्हीं सिद्धांतों की सत्ता संसार पर चल रही है। दूसरे की राय काटने का जहां यत्न होता है, वहां उस मत के प्रति सूक्ष्म प्रेम ही होता है। भक्ति मार्ग में कहा है कि प्रेम के समान द्वेष से भी भगवान की प्राप्ति होती है। संत पुरुष कहते हैं कि बिभीषण प्रेम से तरा, तो रावण द्वेष से। उसका अर्थ यही है। 'पॅराडाइज लॉस्ट' में मिल्टन ने शैतान के अंदर सात्त्विकता के प्रति तात्त्विक द्वेष दिखाकर पाठकों को उसके प्रति सहानुभूति उत्पन्न कर दी है। जिसके दिल में सात्त्विकता के प्रति इतना द्वेष है, उसके अंदर सूक्ष्मरूप में कुछ सात्त्विकता जरूर है, ऐसा लगता है। इसी प्रकार तामसपन का बड़े जोरों के साथ निषेध करने वाले के मन में निःसन्देह भीतर कहीं तामसपन जरूर होता है।

प्रचार का सच्चा साधन कृति ही है। फिर भी जिस प्रकार हमने मान लिया है कि कभी–कभी मत प्रतिपादन की भी जरूरत होती है, उसी प्रकार माना जा सकता है कि कभी–कभी दूसरे की भूल दिखाने की जरूरत भी पैदा हो सकती है। परंतु दूसरे की बात को गलत बताना एक बात है और दूसरे को ही गलत बताना अलग बात है। किसी के मत को निःसार बताते हुए खुद उसे बीच में घसीटकर ले आना गलत है। नारियल की नरेली को तोड़ कर उसकी गरी को जिस प्रकार हम ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार किसी मनुष्य के गलत विचारों को काटकर उसके भीतरी मानव को ग्रहण करने की तरकीब हमें आनी चाहिए। नदी का प्रवाह टेढ़ा हो सकता है, परंतु उसका पानी टेढ़ा नहीं होता। रोटी का आकार गोल हो सकता है, परंतु उसका स्वाद गोल नहीं होता। इसी प्रकार मनुष्य का मत दूषित हो सकता है, मनुष्य स्वयं दूषित नहीं होता। नदी का मार्ग या रोटी का आकार जिस प्रकार बाहरी परिस्थिति के कारण बनते हैं उसी प्रकार मनुष्य के मत की स्थिति है। किसी मनुष्य के मतों के बारे में विचार करते समय हमें उस मनुष्य को अलग ही रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जो बात स्वयं हमें किसी समय सही लगती थी, वही बाद में गलत मालूम होती है। मन में कुछ विचार उठते ही जिन्हें लिख लेने की आदत होती है, वे जानते हैं कि उनके विचार समय–समय पर किस प्रकार बदलते रहे हैं। इसलिए समझदार लोग अपने विचार, आचरण में उतरकर, शरीर में भिदकर और हृदय में भरकर जब अपने–आप बाहर आते हैं, तभी उन्हें प्रकट करते हैं, अन्य किसी भी प्रकार से वे उन्हें प्रकट होने नहीं देते। इस प्रकार अनेक बार परीक्षण के बाद अपने ही पुराने विचारों को, जो आज हमें पसंद नहीं, उन्हें हम छोड़ देते हैं, मौका पड़ने पर उन्हें गलत भी कह देते हैं। परंतु भावना क्या होती है ? दूसरे के मतों का खंडन करने का

मौका आये, तब भी हमें उनका इस प्रकार खंडन करना चाहिए, मानो हम अपने पुराने मत का खंडन कर रहे हैं। इससे भी अधिक अच्छी तरह न्याय यों प्रस्तुत किया जा सकता है कि अपने पुराने मतों को हम कठोर दृष्टि से नहीं देखते, परंतु देखना चाहिए। इसी प्रकार दूसरों के मतों को कठोर दृष्टि से देखते हैं, परंतु वैसा नहीं देखना चाहिए। अनेक बार मनुष्य खुद ही नहीं जानता कि उसका सही–सही मत क्या है। केले की परतों की भांति मनुष्य के मन पर एक–पर–एक अनेक मतों की परतें चढ़ी होती हैं। इन सब परतों को यदि छीलकर देखें, तो उसका भीतरी मन बिल्कुल शुद्ध और सरल होता है। फिर एक बात और भी ध्यान में रखनी चाहिए। कल का मेरा मत आज जिस प्रकार बदल गया, उसी प्रकार आज मुझे अपना पक्का मत मालूम होता हो, तो भी वह कल बदल सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य को निरंतर संशयावस्था में रहना चाहिए। ऐसा हरगिज न हो। आज जो बात मुझे सही मालूम होती है, उसके अनुसार मुझे अवश्य काम करना चाहिए। परंतु दूसरे के मतों का खंडन करते समय अपने अनुभव से सिद्ध मतों की क्षणभंगुरता को न भूलें। संपूर्ण ईश्वर किसी भी व्यक्त स्वरूप में नहीं समा सकता। उसमें उसका एक बहुत छोटा–सा अंशमात्र प्रकट होता है। इसी प्रकार मेरे मत में भी संपूर्ण सत्य का समावेश नहीं हो सकता। ईश्वर का अंश भी किसी एक ही वस्तु में होता है, ऐसी बात नहीं है। हर वस्तु में वह थोड़े या अधिक परिमाण में होता ही है। वही बात सत्य की भी है। वह भी केवल मेरे मत में नहीं, बल्कि सबके मतों में कुछ–न–कुछ अंशों में होता है। यही श्रद्धा सत्याग्रह का आधार और उसकी मर्यादा भी है। कोई भी मनुष्य समाज या संस्था सर्वथा ईश्वररहित या सत्यहीन नहीं हो सकती। यही कारण है कि सत्याग्रह के द्वारा किसी भी मनुष्य, समाज या संस्था को जीता जा सकता है। चूंकि कोई भी मनुष्य, समाज या संस्था सर्वथा सत्यहीन नहीं होती, इसलिए जिसे हम गलती पर मानते हैं, उसके प्रतिकार का साधन अहिंसामय होना चाहिए। यही सत्याग्रह की मर्यादा है। सारांश, किसी भी मनुष्य के मतों का अथवा उसके कार्यों का विचार करते समय उसके व्यक्तित्व को इनसे अलग कर देना चाहिए। यह सत्याग्रह का मुख्य नियम है।

दिनांक 5.10.1925 को लिखा गया आलेख।

(विनोबा साहित्य : पृष्ठ 286–290)

सामयिकी

भारत की जनता को यह जानने का अधिकार है .....

कुमार प्रशान्त

कैसे शोरों से भर गया है भारत ! जैसे सारे देश में कोई हांका पड़ा है। हर तरफ से आवाजें–ही–आवाजें आ रही हैं। कोई यह नहीं देख या सोच रहा है कि कौन, किसे सुन रहा है। इन आवाजवालों को इसका होश भी नहीं है कि वे कह क्या रहे हैं।

सन् 2014 में बनी भारत सरकार, 2018 में चुनावी बॉण्ड की योजना लेकर आई थी। यह अंधेरे में काला कपड़ा पहन कर लूट करने की संवैधानिक योजना थी; जिसे तत्कालीन वित्तमंत्री अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री मोदी की स्वीकृति से तैयार किया था। इसके गुण–दोष व इसकी वैधानिकता पर विचार करने वाली याचिका वर्षों से सर्वोच्च न्यायालय की जेब में पड़ी थी। कैसा गजब है कि ऐसे संवैधानिक मामले, जिनका देश के वर्तमान व भावी से निर्णायक संबंध है, न्यायालय पहुंच तो जाते हैं लेकिन सर्वोच्च न्यायालय प्राथमिकता के आधार पर उनकी सुनवाई नहीं करता है। कोई पूछे कि महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष यदि अपने सदस्यों की वैधता का मामला राजनीतिक कारणों से वर्षों लटकाए रखता है तो चीफ जस्टिस उसे धमकाते हैं कि आप अनिश्चित काल तक उसे रोके नहीं रख सकते; और आप ऐसा करें तो हम आदेश जारी करेंगे; फिर सर्वोच्च न्यायालय ऐसे महत्वपूर्ण मामले को कब तक लटकाए रख सकता है, इसकी जवाबदेही नहीं होनी चाहिए ? किसी भी राजनीतिक व संवैधानिक संरचना को यह नहीं भूलना चाहिए कि अंततः सब इसी संविधान की संतान हैं और यह संविधान भारत की जनता की संतान है। सार्वभौम सिर्फ जनता है जिसके प्रति संविधान की रोशनी में हर कोई जवाबदेह है।

फिर भारत की सर्वोच्च अदालत में खड़े होकर भारत के एटर्नी जेनरल आर. वेंकटरमणी यह लिखित बयान कैसे दे रहे हैं कि भारत की जनता को यह जानने का अधिकार ही नहीं है कि किस आदमी ने, किस पार्टी को, कितना पैसा दिया है ? जो सरकार जनता के वोट से बनती और जनता के नोट से चलती है, उस सरकार का कानूनी नुमाइंदा जब यह कहता है कि जनता को यह जानने का अधिकार है ही नहीं कि उसके पैसे का कौन, कैसा इस्तेमाल कर रहा है तब वहकह यह रहा होता है कि जनता की कोई हैसियत ही नहीं है। इन वेंकटरमणी महाशय को भी महीने की तनख्वाह जनता ही देती है और अदालतों की यह सारी व्यवस्था भी जनता के पैसों पर ही टिकी हुई है। फिर अदालत में खड़े होकर ऐसा कहना महान मूढ़ता का या फिर महान अहमन्यता का प्रमाण है। यह देश की जनता की सार्वभौमिकता पर हमला है।

इससे भी हैरानी की बात यह है कि देश की सर्वोच्च अदालत ऐसा सरकारी दंभ सुन भी लेती है और चुप भी रहती है। अदालतें वैसे तो लोगों को धमकाती ही रहती हैं, जज महाशयों को यह कहने की आदत है कि हम आपको बता देंगे कि हम कौन हैं, लेकिन जब सामने सत्ता का प्रतिनिधि खड़ा हो तो अदालत भी ऊंचा सुनने लगती है; और बोलते हुए हकलाने लगती है।

राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन कहां से मिले, यह यक्ष प्रश्न है। यह आर्थिक व राजनीतिक भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। तब सवाल यह उठता है कि चुनावी बॉण्ड योजना क्या चुनाव में धनपतियों के हस्तक्षेप पर रोक लगाती है ? इस हस्तक्षेप को काबू में करने की कोई कोशिश अब तक प्रभावी नहीं हुई है क्योंकि राजनीतिक दल ईमानदार नहीं हैं। जरूरत ऐसा रास्ता खोजने की थी; और है, कि जिससे इस गठबंधन को शह दिया जा सके। तो सामने आई चुनावी बॉण्ड योजना! यह वह अनैतिक योजना है जो बेईमानी को कानूनसम्मत बनाती है। दाता कौन है, यह पता नहीं है। आप पता करें, यह आपका अधिकार नहीं है। जिन्हें भीतरखाने पता है, वे इस खेल में शरीक हैं। इस तरह की गुमनामी किसी को धनबल से जनबल को परास्त करने का असंवैधानिक अधिकार देती है। इससे दाताओं को सत्ता का अभय मिलता है। इसलिए ही तो 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी को अकूत धन मिलता रहा है। बाकी पार्टियां सुदामा से ज्यादा हैसियत नहीं रखती हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का कमाल नहीं, सत्ता का कमाल है। कल को दूसरी कोई पार्टी सत्ता में होगी तो यह सारा धन उसकी तरफ बहने लगेगा। ऐसी व्यवस्था न नैतिक है, न लोकतांत्रिक और न संविधानसम्मत। चुनावी बॉण्ड वैसी सरकारी पहल थी जिसे लोकतांत्रिक संविधान की रक्षा की संवैधानिक शपथ लेने वाली न्यायपालिका को आगे बढ़ कर निरस्त कर देना था। लेकिन ऐसा करना तो दूर, अदालत इसकी सुनवाई को ही तैयार नहीं हुई; और अब उसके सामने ही बगैर किसी रोक–टोक के सरकार कह रही है कि जनता को यह जानने का अधिकार ही नहीं है कि सत्ता व धनपति मिलकर कैसा खेल रच रहे हैं। यूपीए कानून जिस तरह अदालत के संवैधानिक अधिकार की तौहीन करता है, चुनावी बॉण्ड भी उसका वैसा ही माखौल उड़ाते हैं।

मणिपुर का नाम आते ही सरकार को सांप सूंघ जाता है

मणिपुर का नाम आते ही सरकार को सांप सूंघ जाता है। कई शब्द प्रधानमंत्री के शब्द–ज्ञान के बाहर हैं। मणिपुर भी ऐसा ही एक शब्द है। गृह मंत्रालय ने अपने शब्दकोश से यह शब्द निकाल ही दिया है। वहां हो क्या रहा है और हो क्यों रहा है जैसे सवाल आज कौन पूछे और किससे ? छापने वाला और फेटोवाला, दोनों मीडिया अब देश में कहीं बचा नहीं है। मीडिया के नाम पर सत्ता की जुगाली करते व्यापारिक संस्थान हैं जो कागज भी गंदा करते हैं औरं देश का मन भी। आज गाजापट्टी में भी हमारे यहां से ज्यादा सार्थक मीडिया सांस लेता है।

जब मणिपुर के बारे में कुछ न बोलने का निर्देश है तब मणिपुर के बारे में बोल रहे हैं असम राइफल्स के डायरेक्टर जेनरल लेफ्टिनेंट जेनरल पी.सी. नायर ! कभी रवायत रही थी कि फौज–पुलिस राजनीतिक बयानबाजी नहीं करती थी; उन्हें इसकी अलिखित संवैधानिक–सी मुमानियत थी। लेकिन नया ढर्रा तो यह बना है कि फौज विदेशी मामलों पर नीतिगत बयान देती है; सरकार उससे ही अपने कारनामों पर पुताई करवाती है और हमें महावीर चक्र वाले चूहे दिखाई देने लगते हैं। आज पुलिस का अधिकारी मणिपुर के भूत–भाविष्य व वर्तमान की तस्वीर खींचता है। जब लोकतंत्र में से 'लोक'

खत्म हो जाता है तब 'तंत्र' अपनी ही प्रतिध्वनि से आसमान गुंजाता है। अपनी ही सुनता–सुनाता है।

नायर साहब कह रहे हैं कि मणिपुर धीमे–धीमे शांति की तरफ लौट रहा है और वे बेहद चिंतित हैं कि मणिपुर में बड़े पैमाने पर जो हथियार लूटे गए हैं, वे कहीं गलत हाथों में न पड़ जाएं। राज्य सरकार कह रही है कि सरकारी हथियार–गोदाम से जो हथियार लूटे गए हैं, उनका चौथाई भी लौटा नहीं है। नायर साहब कहते हैं कि यदि ये हथियार वापस नहीं लौटे तो इसका मतलब होगा कि ये गलत हाथों में चले गए हैं। उनमें से बहुत सारे अतिवादियों के हाथ में पहुंच गए होंगे। वे गहन विश्लेषण करते हैं और कहते हैं कि इन हथियारों की मदद से अतिवाद फिर सर उठा सकता है। उनसे पूछना यह चाहिए कि सरकारी गोदामों से यदि हथियार लूट लिए गए तो आपकी नौकरी अब तक सलामत कैसे है ? उनसे पूछना यह भी चाहिए कि यदि गोदामों में हथियार लूट लिए गए यह सच है, तो क्या इससे यह साबित नहीं होता है कि गोदाम की चाभियां गलत हाथों में थीं ? नायर साहब जैसे बड़ी कुर्सियों वाले अधिकारी होते ही इसलिए हैं कि वे सही व गलत का विवेक करें। आप रो रहे हैं कि हथियार कहीं अतिवादयों के हाथ न पहुंच जाएं ? मतलब क्या हथियार दो तरह के लोगों के हाथ में गए है; अतिवादी व शांतिवादी ? यही समस्या की जड़ है।

जनजातियों के बीच टकराव का इतिहास बहुत पुराना है। हमारे समाज में जातीय संगठनों के आपसी संघर्ष इसका ही आधुनिक संस्करण है। मणिपुर में भी मैतेई व कुकी लोगों के बीच यह पहला संघर्ष नहीं है। फिर क्या हुआ कि इस बार संघर्ष का स्वरूप इतना भयंकर व इतना लंबा हो गया है ? फिर क्या हुआ कि मणिपुर में सत्ता पेट्रोल लेकर आग बुझाने पहुंच गई ? मणिपुर की दो जनजातियों के बीच का संघर्ष देशी–विदेशी हथियारों की जंग में बदल गया तो नायर साहब जैसों की जरूरत क्या है देश को ? फौज–पुलिस का काम किसी एक पार्टी की तरफ से खेलना नहीं होता है बल्कि लड़ाई को दबाना होता है। उस रास्ते में कोई भी आए उसे भी उतनी ही सख्ती से रास्ते से हटाना होता है। नायर साहब जैसे इस सच्चाई को छुपा जाते हैं कि हथियार लूटे ही नहीं गए हैं, बांटे भी गए हैं, पहुंचाए भी गए हैं। किसी को सत्ता का सहारा है तो किसी को बाहरी ताकतों का उकसावा है। हिंदुस्तान उनके बीच पिस रहा है।

मुम्बई सर्वोदय मण्डल द्वारा आयोजित कार्यक्रम

गांधी–विनोबा–सर्वोदय साहित्य प्रदर्शनी :

जे. पी. जयंती से लेकर विनोबा जयंती तक महाराष्ट्र सर्वोदय मंडल ने गांधी बुक सेंटर में 11 सितम्बर से 11 अक्टूबर तक गांधी–बिनोबा–सर्वोदय की लगभग 200 पुस्तकों का प्रदर्शन और बिक्री की। इस दौरान सभी किताबों पर 50 प्रतिशत की छूट दी गई। इस एक महीने में करीब रु. 3,87,530/– कीमत के किताबों की बिक्री हुई।

'गांधी की विरासत' गोष्ठी :

कार्यक्रम की शुरुआत छात्रा सई के सितार वादन से हुई। सितार पर उसने 'वैष्णव जन' भजन बजाया। प्रस्तावना मंडल के सचिव शेख हुसैन ने की। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई ने चर्चा शुरू करते हुए कहा कि वर्तमान विकास का मॉडल गांव और शहर को विभाजित कर रहा है। आज का मीडिया तथा गांधीजी की पत्रकारिता की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि भयमुक्ति आज का अहम मुद्दा है। गांधी के बताए मूल्य वर्तमान में कैसे लागू होते हैं, यह बात बच्चों तक ले जाने की आवश्यकता है। विषय प्रवेश के बाद अन्य लोगों ने गोष्ठी में शिरकत की। गोष्ठी का समापन जयंत दिवण ने किया। उन्होंने वाराणसी स्थित गांधीवादी संस्था 'सर्व सेवा संघ' का गैर–कानूनी और ज़बरदस्ती किए गए ध्वस्तीकरण से उपस्थितों को अवगत कराया। वर्तमान सरकार की दोमुही बातों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि आनेवाले चुनाव देश के लोकतंत्र की परीक्षा के चुनाव सिद्ध होंगे। हम नागरिकों को तानाशाही एवं फासिस्टवादी ताकतों को हराना होगा। कार्यक्रम का संचालन मंसूर पटेल ने किया।

गांधी–शांति–परीक्षा :

स्कूल और कॉलेज के छात्रों को गांधीजी के जीवन

बाजारवाद और अतृप्त लालसा का ताण्डव

भारतीय आर्थिक दर्शन और जीवन पद्धति के सर्वथा प्रतिकूल 'पूंजी ही जीवन का अभीष्ट है' के अमूर्त दर्शन पर आधारित नव उदारीकरण की अर्थव्यवस्था को लागू हुए तीन दशक से भी ज्यादा समय बीत चुका है और तब से लेकर आज तक हम एकाग्रभाव से बाजारवाद की ही पूजा-अर्चना कर रहे हैं। लक्ष्मी अब लोक की देवी नहीं, बल्कि ग्लोबल प्रतिमा बन गई है। उसकी पूजा में अब लोक-जीवन को संपन्न बनाने की इच्छा कम और खुद को समृद्ध बनाने की लालसा ज्यादा व्यक्त की जाती है। डिजायनों और ब्रांडों के बोलबाले ने मिट्टी की लक्ष्मी प्रतिमाओं और कुम्हार के कलाकार हाथों से ढले दीयों को भी डिजायनर बना दिया है। डिजायनर दीयों के साथ ही ब्रांडेड मोमबंतियां और मोम के दीयों का भी चलन बढ़ गया है। पारंपरिक मिठाइयों की जगह अब ब्रांडेड मिठाइयों और मुनाफाखोर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के चॉकलेटों ने ले ली है।

दीपावली पर उपहारों और मिठाइयों के आदान-प्रदान का चलन पुराना है लेकिन पहले उनमें गहरी आत्मीयता होती थी। अब जिन महंगे उपहारों और मिठाइयों का लेन-देन होता है उनमें से आत्मीयता और मिठास का पूरी तरह लोप हो गया है और उनकी जगह ले ली है दिखावे और स्वार्थ ने। यानी अब राजनीति के साथ-साथ हमारी संस्कृति और सामाजिकता भी बाजार के रंग में रंग गई है। दीवावली दुर्गापूजा, गणेश चतुर्थी, कृष्ण जन्माष्टमी समेत हमारी लोक-संस्कृति से जुड़े तमाम त्योहारों, पर्वों और यहां तक कि महिलाओं द्वारा किए जाने वाले करवा चौथ और हरतालिका तीज जैसे व्रतों को भुनाने में भी बाजार अब पीछे नहीं रहता।

निस्संदेह बाजारवाद से देश में समृद्धि का एक नया वातावरण निर्मित हुआ है। महानगरों में एक बड़े वर्ग के बीच हमेशा उत्सव का माहौल रहता है लेकिन उनके इस उत्सव में न तो सामाजिकता और परस्पर आत्मीयता होती है और न ही इसके पीछे किसी प्रकार की कलात्मकता। उसमें जो कुछ होता है, उसे भोग-विलास या आमोद-प्रमोद का फूहड़ और बेकाबू वातावरण ही कह सकते हैं।

यह सब कुछ अगर एक छोटे से तबके तक ही सीमित रहता तो, कोई खास हर्ज नहीं था। लेकिन मुश्किल तो यह है कि ''यथा राजा तथा प्रजा'' की तर्ज पर ये ही मूल्य हमारे राष्ट्रीय जीवन पर हावी हो रहे हैं। जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं या जिनकी आमदनी सीमित है,उनके लिए बैंकों ने 'ऋण कृत्या, घृतम्पीवेत' की तर्ज पर क्रेडिट कार्ड और कर्ज के जाल बिछा कर अपने खजाने खोल रहे हैं। लोग इन महंगे ब्याज दरों वाले कर्ज और क्रेडिट कार्ड की मदद से सुख-सुविधा के आधुनिक साधन खरीद रहे हैं। विभिन्न कंपनियों के शो रूमों से निकलकर रोजाना सड़कों पर आ रहीं लगभग पांच हजार कारें और शान-ओ-शौकत की तमाम वस्तुओं की दुकानों और शोंपिग मोल्स पर लगने वाली भीड़ देखकर भी इस वाचाल स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है।

कुल मिलाकर हर तरफ लालसा का तांडव ही ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। तृप्त हो चुकी लालसा से अतृप्त लालसा ज्यादा खतरनाक होती है। देशभर में बढ़ रहे अपराधों-खासकर यौन अपराधों की वजह यही है। यह अकारण नहीं है कि देश के उन्हीं इलाकों में अपराधों का ग्राफ सबसे नीचे है, जिन्हें बाजारवाद ज्यादा स्पर्श नहीं कर पाया है। यह सब कहने का आशय विपन्नता का महिमा-मंडन करना कतई नहीं है, बल्कि यह अनैतिक समृद्धि की रचनात्मक आलोचना है।

(wtps://web.whatsapp.co

➪और कार्यों की जानकारी देने और उन्हें सत्य, अहिंसा, शांति जैसे जीवन के मूल्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करने की दृष्टि से सर्वोदय मंडल पूरे साल मुंबई और महाराष्ट्र के स्कूलों और कॉलेजों में 'गांधी शांति परीक्षा' आयोजित करता है। इस साल गांधी जयंती के निमित्त सितंबर और अक्टूबर के महीनों में मुंबई, हिंगोली, महाराष्ट्र के कुल 44 स्कूलों और कॉलेजों में गांधी परीक्षा का आयोजन किया गया जिसमें कुल 6,116 छात्रों ने भाग लिया। इन सभी छात्र-छात्राओं को प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया।

माननीय राष्ट्रपति की सेवा में एक अपील

माननीय राष्ट्रपति जी,

हम अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के पूर्व सिविल सेवकों का एक समूह हैं, जिन्होंने अपने कॅरियर के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों में काम किया है। एक समूह के रूप में, हमारा किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है, लेकिन हम निष्पक्षता, तटस्थता और भारत के संविधान के प्रति प्रतिबद्धता में विश्वास करते हैं।

किसी भी जीवंत लोकतंत्र को निर्वाचित सरकार द्वारा सत्ता के मनमाने उपयोग को रोकने के लिए नियंत्रण और संतुलन की एक प्रभावी प्रणाली की आवश्यकता होती है और ऐसे नियंत्रण और संतुलन का प्रयोग केवल स्वतंत्र संस्थानों के माध्यम से किया जा सकता है, जो कार्यपालिका या किसी निहित स्वार्थ के दबाव का सामना करने में सक्षम हैं। **भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक** (CAG) एक ऐसी संस्था है जो 150 वर्षों से अधिक समय से सरकारी गतिविधियों और व्यय पर निगरानी रख रही है। इसमें मोटे तौर पर निष्पक्षता, राजनीतिक तटस्थता और इसकी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की मजबूती का एक बेदाग रिकॉड है जो रिपोर्ट किए गए तथ्यों और आंकड़ों की पूर्ण सटीकता सुनिश्चित करता है।

भारत के संविधान में सीएजी को यह पुष्टि करने की आवश्यकता है कि वह "भय या पक्षपात, स्नेह या द्वेष के बिना" अपने कर्तव्यों का विधिवत और ईमानदारी से पालन करेगा, फिर से कार्यपालिका से उसी पूर्ण स्वतंत्रता की पुष्टि होगी। सीएजी प्रचार की चकाचौंध से दूर चुपचाप काम करता है, अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जहां से रिपोर्ट संसद के समक्ष पेश की जाती है। इसके बाद रिपोर्ट की जांच **लोक लेखा समिति** द्वारा की जाती है, और ये सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होती हैं, जिससे कार्यपालिका की सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित होती है। एक प्रभावी और स्वतंत्र सीएजी के बिना, सरकार द्वारा सार्वजनिक धन का उचित वित्तीय प्रबंध अप्रभावी हो जाएगा।

दुर्भाग्य से, हाल के दिनों में, ये उच्च मानक कम होते दिख रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सीएजी संस्था अपने कर्तव्यों का निर्वहन उस गति से नहीं कर रही है जैसे उससे अपेक्षा की जाती है, या जैसा कि उसने अतीत में किया था। केंद्र सरकार के कामकाज से संबंधित ऑडिट रिपोर्ट्स की संख्या, जो संसद के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं, में गिरावट देखी गई है जैसा कि नीचे देखा जा सकता है :

वर्ष 2015 : 54 रिपोर्ट्स; 2016 : 43 रिपोर्ट्स; 2017 : 50 रिपोर्ट्स; 2018 : 19 रिपोर्ट्स; 2019 : 18 रिपोर्ट्स; 2020 : 17 रिपोर्ट्स; 2021 : 28 रिपोर्ट्स; 2022 : 30 रिपोर्ट्स; 2023 : 16 रिपोर्ट्स।

इसका मतलब यह है कि या तो सीएजी का कामकाज धीमा हो गया है या सरकार द्वारा खर्च में खामियां पाए जाने के बावजूद संगठन इसे संसद में पेश करने और जानकारी सार्वजनिक करने में अनिच्छुक है।

सन् 2012 के बाद से, जब सीएजी ने सरकार द्वारा कोयला खदानों के गलत आवंटन और 2जी स्पेक्ट्रम नीलामी में कथित त्रुटियों के कारण देश को हुए नुकसान पर अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की, तब से नागरिकों और राजनीतिक नेताओं के बीच काफी रुचि रही है कैग की रिपोर्ट से पता लगाने में कि सरकार ने करदाताओं का पैसा ठीक से खर्च किया है या नहीं। ऑडिट रिपोर्ट की कम संख्या और रिपोर्ट पर ससंद में चर्चा का अभाव उन्हें उस अधिकार से वंचित करता है।

सन् 2023 में, केंद्र सरकार के कामकाज से संबंधित कैग की 16 रिपोर्ट्स संसद में रखी गईं। इन रिपोर्ट्स में सरकार और सरकारी निकायों द्वारा गलत या अधिक खर्च के कई उदाहरणों पर प्रकाश डाला गया। इनमें से सबसे गंभीर मामलों में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और अन्य संबंधित निकायों की सड़क परियोजनाओं पर महत्वपूर्ण लागत वृद्धि और केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य योजना, आयुष्मान भारत के तहत व्यय के झूठे रिकार्ड शामिल हैं।

एनएचएआई द्वारा शुरू की गई सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं पर, सीएजी ने परियोजनाओं के आवंटन और कार्यान्वयन में कई अनियमितताएं पाई हैं, जैसे कि सफल बोली लगाने वाले ने निविदा शर्तों को पूरा नहीं

किया या फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बोली लगाने वालों का चयन किया, या कार्यों का पुरस्कार दिया, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की उपलब्धता के बिना, या दोषपूर्ण परियोजना रिपोर्ट के आधार पर कार्यों का पुरस्कार आदि। उदाहरण के लिए, भारतमाला परियोजना चरण 1 के तहत एनएचएआई के द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना में, सीएजी ने पाया कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने प्रति किमी 18.20 करोड़ रुपये परियोजाना को मंजूरी दी थी, जबकि वास्तविक लागत बहुत अधिक हुई। 250.77 करोड़ रुपये प्रति किमी, आवंटित लागत से लगभग 14 गुना अधिक! कई अन्य मामलों में भी परियोजनाओं में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, जिनमें विशिष्टताओं को बदलना शामिल था, जिसके परिणामस्वरूप निर्माण लागत में तेजी से वृद्धि हुई। इसके अलावा, परियोजनाओं की मंजूरी से पहले सलाहकारों द्वारा तैयार की गई विस्तृत रिपोर्ट का सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित कार्रवाई के साथ मूल्यांकन नहीं किया गया था।

इसी तरह सरकार की आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) से संबंधित खर्च में भी कई गंभीर खामियां पाई गईं, जिसका उद्देश्य 10 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को स्वास्थ्य कवर देना था। सीएजी ने उल्लेख किया है कि इलाज के दौरान मरने वाले 88760 मरीजों के मामले में, उन्हीं मरीजों के नए इलाज के लिए 214923 दावे बाद की तारीख में किए गए थे। सीएजी द्वारा इस ओर इशारा करने और कार्यक्रम को क्रियान्वित करनेवाली राष्ट्रीय कार्यान्वयन एजेंसी के यह वादा करने के बावजूद कि मौजूद खामियों को दूर किया जाएगा, पहले से मृत दर्शाए गए मरीजों के इलाज के नए दावे किए जाते रहे। सीएजी ने 4,761 पंजीकरणों की भी पहचान की है जो केवल सात आधार नंबरों से जुड़े थे, जो संभावित अनियमितताओं का संकेत देते हैं। फिर, यह तथ्य धोखाधड़ी की संभावना दर्शाती है कि अस्पतालों ने एक ही डमी फोन नं. 999999999 के तहत 7.5 लाख मरीजों को पंजीकृत किया था और 888888888 नंबर के तहत अन्य 1.4 लाख मरीज पंजीकृत किए गए थे।

इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि इन रिपोर्ट्स के सार्वजनिक होने के तुरंत बाद, सीएजी ने इन रिपोर्ट्स के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को अन्य पदों पर स्थानांतरित कर दिया, जिससे यह संदेह पैदा हो गया कि उन्हें ईमानदारी और साफ सुथरे होने और सरकारी एंजेंसियों के गलत कामों को उजागर करने के लिए दंडित किया गया था। इन अधिकारियों को कानूनी अधिकारी (हालांकि संबंधित व्यक्ति की कोई कानूनी पृष्ठभूमि नहीं है) या राष्ट्रभाषा सेल आदि जैसे महत्वहीन पदों पर तैनात किया गया है और कुछ मामलों में उनके वर्तमान पोस्टिंग स्थान से बहुत दूर भेज दिया गया है। इससे भी अधिक गंभीर बात यह है कि मीडिया का ध्यान आकर्षित होने के बाद फील्ड ऑडिट को निलंबित कर दिया गया है। फील्ड ऑडिट का काम रुकने का मतलब है कि सीएजी निष्क्रिय हो गया है; यह एक गंभीर संवैधानिक कदाचार है।

एक और चिंताजनक प्रवृत्ति मंत्रियों और सार्वजनिक पदाधिकारियों द्वारा सीएजी रिपोर्ट्स के खिलाफ मीडिया में दिए गए बयान हैं। CAG ऐसी सार्वजनिक चर्चाओं में भाग नहीं लेता है और न ही ले सकता है और यह CAG के काम के अधिकार और विश्वसनीयता को कमजोर करता है। हालांकि सरकार के मंत्रालयों और विभागों ने इन मुद्दों पर स्पष्टीकरण देने की कोशिश की है, लेकिन यह दिलचस्प है कि सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद सरकार का बचाव करने के लिए मैदान में कूद पड़े हैं। एक मंत्री द्वारका एक्सप्रेसवे पर सीएजी रिपोर्ट के खिलाफ सार्वजनिक हो गए हैं, उन्होंने सीएजी रिपोर्ट में स्पष्ट त्रुटियों की ओर इशारा किया है; एक अन्य उदाहरण में, वित्त मंत्रालय ने सरकारी खातों पर सीएजी की टिपणियों पर 17 अक्टूबर 2023 को 'द टेलीग्राफ' में प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट का खंडन किया है, जिसमें सीएजी की प्रत्येक टिप्पणी का विस्तृत बिंदुवार उत्तर दिया गया है। चूंकि CAG मंत्रियों और अधिकारियों के बयानों पर सार्वजनिक बहस में शामिल नहीं हो सकता, इसलिए चर्चाएं एकतरफा हो जाती हैं। सही दृष्टिकोण यह होता कि रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले सीएजी की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया दी जाती, उस समय जब सीएजी की टिप्पणियों को उनकी प्रतिक्रिया के लिए संबंधित अधिकारियों को भेजा जाता है। यह सीएजी की रिपोर्ट्स की निष्पक्षता सुनिश्चित करता है और संवैधानिक संस्था को➪

ये लोभ–तंत्र है!

सरोज कुमार

लोगों की भागीदारी से बनने और चलने वाला तंत्र लोकतंत्र कहलाता है। तंत्र में चंद लोगों का वर्चस्व कायम हो जाए, फिर तंत्र चंद लोगों के हित में चलने, काम करने लगे तो समझिए ये लोभ–तंत्र है। लोकतंत्र में भी हित होता है, मगर वहां सबका हित होता है, यानी जनहित। जबकि लोभ–तंत्र में चंद लोगों का हित सधता है, और बाकी उस हित के साधन बन जाते हैं। यानी निहति स्वार्थ। हमारे देश की मौजूदा परिस्थिति क्या इससे कुछ अलग है ? अनुभव कहता है नहीं! यानी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र लोभ–तंत्र में बदल चुका है!

लोभ–तंत्र राजतंत्र की सीढ़ी है तो राजतंत्र तानाशाही का सिंहद्वार, और तानाशाही फासीवाद का मुकम्मल चेहरा। और जो चेहरा आज हर जगह चमक रहा है, ध्यान से देखिए, उसमें यही फासीवाद दिखाई देगा। बाकी सभी चेहरे इस एक चेहरे को चमकाने का साधन बन चले हैं। यह खतरनाक स्थिति है। यह सब कुछ उस धरती पर हो रहा है जहां से राजतंत्र और तानाशाही को एक बार नहीं बार–बार उखाड़ फेंका गया है। और यह पुरुषार्थ यहीं के लोगों ने किया है। राजाओं–महाराजाओं के जमाने में भी लोक ने उसी तंत्र को पूजा जिसका बरतने का तरीका लोक केंद्रित, लोकतांत्रिक था। ऐसे कई उदाहरण हमारे शास्त्रों, इतिहास की किताबों में दर्ज हैं। राजतंत्र को, तानाशाही को उस युग में भी यहां के लोक ने रत्तीभर नहीं सेंटा। यानी लोकतंत्र यहां के लिए पर–लोक की कोई वस्तु नहीं रही है। यह सभी के धमनी–तंत्र में प्रवाहित होने वाली वह संचेतना है, जिसके दम पर ही धरती का यह भू–भाग अबतक 'वसुधैव कुटुंबकम' के दंभ भरता रहा है, और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है। ऐसे लोकतंत्र की उस संचेतना को आखिर अब क्या हो गया ? ऐसा क्या कुछ घट गया कि सभी ने बत्तियां बुझा लीं, दरवाजे बंद कर लिए, और अपने–अपने घरों में खुद को कैद कर लिए!

लोक–मर्दन की मुनादी हो रही है! फासीवाद चढ़ा आ रहा है! फिर भी यह चुप्पी! सियापा! आखिर क्यों? हम इतने भयभीत क्यों हो गए हैं! लोक में यह चुप्पी लोभ के कारण तो नहीं उपजी ? इसमें संशय नहीं है। क्योंकि ये ईसा का दयाभाव तो नहीं है। चुप्पी यानी भय, लोभ का ही स्थायी भाव है। तो क्या हम लोभी हो गए हैं? लोकार्थ के साधक के बदले स्वार्थ के भोगी बन गए हैं? यदि ऐसा है तो फिर लोकतंत्र कहां बचा, और बचेगा कैसे। लोक का यह आत्मसमर्पण सबसे बड़ा पाप है! बापू ने कहा था, अन्याय करना जितना बड़ा जुर्म है, अन्याय का प्रतिकार न करना उससे बड़ा जुर्म है। तो क्या हम जुर्म के जातक बन गए हैं। बापू ने यह भी कहा था कि अन्याय का मुकाबला सिर्फ सत्य के हथियार से ही किया जा सकता है। क्योंकि अन्याय से लड़ने की पहली शर्त निर्भयता है। और निर्भयता का स्रोत सत्य ही है। यानी हम डरे हुए लोग सत्यहीन भी हो गए हैं! यह तो बड़ी विडंबना है भाई!

➪टाले जा सकने वाले, असत्य और बिना सूचनावाले मीडिया विवाद से बचाता है, जिसके परिणामस्वरूप संस्था की विश्वसनीयता में कमी आती है।

वर्तमान में हम जो प्रवृत्ति देख रहे हैं वह वास्तव में परेशान करने वाली है। कुछ अपवादों को छोड़कर, सीएजी ने लगभग हमेशा पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ काम किया है, और यह अब खतरे में पड़ता दिख रहा है। इसलिए, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने कार्यालय के अधिकार का प्रयोग करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संस्थान की निष्पक्षता और स्वतंत्रता से कोई समझौता नहीं किया गया है और स्थापित प्रक्रियाओं और नियंत्रणों के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। ऐसी छेड़ छाड़ से हमारे लोकतंत्र को बहुत नुकसान पहुंचेगा।

सत्यमेव जयते!

आपके विश्वासी :

संवैधानिक आचरण समूह के 86 सेवानिवृत्त आईएएस, आईपीएस, इंजीनियरिंग सर्विसेज, आईएफए, आईएफओएस, आईपीओएस, आईएएंडएएस, आईआरएएस।

सिकंदर आया तो यहां लोकतंत्र था। लोक की ताकत ने ही उसे यहां से खदेड़ा था। मुगल आए तब भी लोकतंत्र था। अंग्रेजों के समय भी यहां लोकतंत्र मौजूद था। ब्रिटिश इंडिया का पहला कार्यवाहक गवर्नर जनरल चार्ल्स मैटकॉफ अपने चर्चित मिनट में लिखता है, "भारत के हरेक गांव अपने आप में स्वतंत्र और आत्मनिर्भर हैं। ये अपनी सभी जरूरतें स्थानीय स्तर पर ही पूरी कर लेते हैं। इन्हें बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। ये गांव अपने आप में अलग-अलग गणराज्य की तरह हैं। यही वजह है कि यहां बड़े-बड़े राजे-महराजे आए और चले गए, मगर ये गांव जस के तस बने रहे। मेरी इच्छा है इस व्यवस्था के साथ छेड़-छाड़ न की जाए।" ब्रिटिश राजा को 1836 में भेजे गए इस मिनट से स्पष्ट है कि यहां कोई तो ऐसी व्यवस्था थी, जिसके दम पर गांव स्वतंत्र, आत्मनिर्भर गणराज्य की तरह मजबूत खड़े थे। इस व्यवस्था का नाम लोकतंत्र ही था। हालांकि ब्रिटिश तो यहां छेड़छाड़ के लिए ही आए हुए थे। उन्होंने व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ ही नहीं किया, इसे तोड़ने-मरोड़ने की भी कोशिशें की। कुछ टूट फूट हुई भी। लोकतंत्र फिर भी अटूट बना रहा। धमनियों में संचरित होता रहा।

बापू ने लोकतंत्र की इस बुनियाद को पहचाना था। तभी उन्होंने ग्रामस्वराज की परिकल्पना पेश की थी, उसे जमीन पर उतारने की पुरजोर कोशिश भी की। उन्हें पता था कि ग्रामस्वराज के बिना लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा, टिक नहीं पाएगा। बापू ने पहली जनवरी, 1948 को 'हरिजनसेवक' में लिखा था, "सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठे हुए 20 आदमियों से नहीं चल सकता। उसे हर गांव के लोगों को नीचे से चलाना होगा।" बापू ने लोकतंत्र को लेकर ये बात कोई एक-दो बार नहीं, बार-बार कही थी। लेकिन आज तो गांव अंतिम सांसें गिन रहे हैं। कैसे-कैसे कर के गांवों को तोड़ा गया है, तोड़ा जा रहा है। जो काम आक्रांता नहीं कर पाए, उसे हमारे अपने चुने हुए लोगों ने कर डाला है। आक्रांताओं को शायद हमारी उस धमनी का पता नहीं था, जहां लोकतंत्र संचरित होता था। अपने लोग तो लोकतंत्र की नस नस जानते हैं। उनके लिए यह काम आसान हो गया।

यहां हम गिनाना नहीं चाहते कि क्या कुछ और कितना कुछ हो गया। और अभी क्या कुछ और कितना कुछ हो रहा है। सबकुछ सभी के सामने है। जो हो रहा है दिन के उजाले में है। दरअसल, किसी चीज को खत्म करने के पीछे का उद्देश्य किसी दूसरी चीज को स्थापित करने का होता है। आज लोकतंत्र के स्थान पर जिस चीज को स्थापित करने का उद्देश्य दिखाई दे रहा है, उसका नाम फासीवाद है। वही फासीवाद जिसे उसकी जन्मस्थली पर ही पांव रखने की जगह नहीं बची है। वहां के लोक ने यूरोप से उसे कब का खदेड़ दिया है। मगर मुसोलिनी के नकली वारिश आज उसे गांधी के देश में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यह संभव है?

हमें अभी भी भारत के लोक पर भरोसा है। भरोसा है कि जिस दिन ये अन्याय अपनी हद पर पहुंचेगा, प्रतिकार के सभी झरोखे, खिड़कियां, दरवाजे एकसाथ खुल जाएंगे, चुप्पी टूटेगी और लोकप्रहरी हुंकार भरेंगे। फिर फासीवाद और उसके चेलों की दुम किधर होगी, मुंह किधर होगा, हम इतिहास में ही देख पाएंगे। हमें उस दिन का इंतजार है; लोभ-तंत्र के टूटने, और लोकतंत्र के फिर से जीवंत हो उठने का !

श्रद्धांजलि

सुमति मित्तल का देहावसान

आचार्य विनोबा द्वारा प्रस्थापित प्रस्थान आश्रम, पठानकोट की संचालिका **सुमति मित्तल** का गत् **24 नवम्बर, 2023** को देहांत हो गया।

सर्व सेवा संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं मैनेजिंग ट्रस्टी स्व. यशपाल मित्तल की सहधर्मिणी सुमति मित्तल निष्ठावान सर्वोदय कर्मी थीं और प्रस्थान आश्रम की प्रवृत्तियों का वर्षों से कुशलतापूर्वक संचालन कर रही थीं। उनके निधन से सर्वोदय परिवार में जो रिक्तता पैदा हुई है, उसका भरा जाना कठिन है।

ईश्वर स्व. सुमति मित्तल की आत्मा को चिर-शान्ति प्रदान करे और परिवारजनों को चिर-विदाई का शोक सहन करने की शक्ति दे, इस प्रभु-प्रार्थना के साथ गांधी स्मारक निधि परिवार की ओर से स्व. सुमति मित्तल के प्रति हार्दिक श्रद्धाजलि! — सं.

मंत्री की कलम से

पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश :

ओमप्रकाश त्रिखा स्मृति दिवस पर स्वाध्याय आश्रम पट्टीकल्याणा में श्रद्वांजलि सभा में उपस्थित रहा, स्वाध्याय आश्रम की स्थापना में ओमप्रकाश त्रिखा तथा उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी की मुख्य भूमिका रही है। नागरिक, विद्यार्थी, पत्रकार तथा गांधीजन एकत्रित हुए और सभी ने सद्भावना के लिए सामूहिक प्रार्थना की एवं संकल्प लिया। त्रिखाजी के कौमी एकता के लिए किये गये कामों को याद करते हुए वर्तमान परिस्थिति में सामुदायिक एकता और सद्भावना के कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने पर चर्चा की गई। सामूहिक सहभोज का आयोजन भी किया गया।

पंजाब प्रांत विभाजन के बाद हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बना, निधि के काम हरियाणा, चण्डीगढ़ और पंजाब में चलते रहे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में खास कुछ नहीं हो सका। इसलिए हिमाचल प्रदेश में बच्चों की शिक्षा, सर्वांगीण विकास एवं सामुदायिक स्तर पर कार्यक्रम की योजना तैयार कर ली गयी है।

शिमला जिले के सोलन और मण्डी में ही ग्रामीण क्षेत्रों में सघन क्षेत्र बनाकर कार्य प्रारंभ करने की तैयारी है। इस संबंध में गांव पंचायत, ग्रामीण जनता, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ विचार विनिमय किया गया है।

मध्य प्रदेश :

मध्य प्रदेश चुनावी महीना रहा। प्रदेश के युवा बेरोजगारी से हताश और निराश नजर आए। किसानों की स्थिति भी ठीक नहीं है। सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में हालात बेहद खराब हैं। जनता से चर्चा में यह बात सामने आई कि अपनी दुर्दशा बार–बार जनप्रतिनिधि, प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद भी कोई राहत नहीं है। हिंसक राजनीति हावी हो रही है, सेवा भाव समाप्त है। हर चुनाव आपस में दुश्मनी पैदा कर रहा है। कुछ स्थानों पर माहौल अशांत है। आमतौर पर म. प्र. में शांतिपूर्ण ढंग से ही चुनाव होता रहा, इस बार उतेजना अधिक रही। गांवों और शहरों में शिक्षित बेरोजगार बहुत ही दुखी नजर आये। 10 वर्षों से अधिक समय से नौकरी की तैयारी में लगे युवा खुद को असहाय महसूस करने लगे हैं। इतनी बड़ी संख्या में युवा शक्ति के व्यर्थ जाने के लिए सरकार स्वयं ही जिम्मेदार है।

पुरानी पेंशन स्कीम :

पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। महिलायें भी मंहगाई से परेशान दिखीं, एक खास बात यह है कि साम्प्रदायिक नफरत इस चुनाव को अनेक प्रयासों के बावजूद प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है।

सेवाग्राम आश्रम :

सेवाग्राम आश्रम के कर्मठ मंत्री प्रदीप खेलुलकर के आकस्मिक निधन के पश्चात नये मंत्री के रूप में विजय तांबे को नियुक्त किया गया। आश्रम में आहार केन्द्र की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। आवश्यकता को देखते हुए शेड निर्माण को बढ़ाया गया है। बैठक में तय हुआ कि गांधी–विचार अनुसार ही अब निर्माण कार्य हो तथा स्थानिक संसाधनों का ही इस्तेमाल किया जाय। गांधीजी द्वारा निर्मित कुटिया के साथ मेल खा सके, ऐसी तकनीक और डिजाइन अपनाई जाय। इस तरह के कामों को बेहतर समझदारी से करने के लिए एक उप–समति भी गठित की गयी है, जो विशेषज्ञों की सहायता से योजना को तैयार करेगी। खादी कार्य आश्रम में अनेकों वर्षों से संचालित है। उसे 'सेवाग्राम आश्रम' द्वारा निर्मित गांधी की 'खादी' के नाम से ही प्रदर्शित किया जाय। मिलावट के इस जमाने में आश्रम द्वारा निर्मित खादी एक विरासत है। अतः इतिहास और विरासत के सतत सरंक्षण का महत्वपूर्ण कार्य आश्रम द्वारा किया जा रहा है। श्री जमनालाल बजाज मेमोरियल लाइब्रेरी एण्ड रिसर्च सेंटर फॉर गांधियन स्टडीज सेवाग्राम आश्रम में एक नया संयोजन है। यह केन्द्र बेहतर कार्य करना प्रारम्भ भी कर दिया है। कृषि, गौशाला एवं प्रबंधन तथा साधना कार्य में युवा पीढ़ी को जोड़ना तथा जिम्मेदारी देना तय हुआ है। पिछले कुछ वर्षो में लगातार गतिविधियां बढ़ी हैं, उसकी निरंतरता और नवाचार के लिए अध्यक्षा आशा बहन बोथरा विशेष प्रयास कर रही हैं।

– संजय सिंह

प्रकाशन तिथि 28/11/2023
Delhi Postal Regd. No. DL (C)-05/1423/2022-2024
R.No.21841/1971 Posted at L.P.C.- Delhi. R.M.S.Delhi-6 on 1st, 2nd December, 2023

मैं असभ्य हूं

मैं असभ्य हूं क्योंकि खुले नंगे पांवों चलता हूं
मैं असभ्य हूं क्योंकि धूल की गोदी में पलता हूं
मैं असभ्य हूं क्योंकि चीरकर धरती धान उगाता हूं
मैं असभ्य हूं क्योंकि ढोल पर बहुत जोर से गाता हूं

आप सभ्य हैं क्योंकि हवा में उड़ जाते हैं ऊपर
आप सभ्य हैं क्योंकि आग बरसा देते हैं भू पर
आप सभ्य हैं क्योंकि धान से भरी आपकी कोठी
आप सभ्य हैं क्योंकि जोर से पढ़ पाते हैं पोथी
आप सभ्य हैं क्योंकि आपके कपड़े स्वयं बने हैं
आप सभ्य हैं क्योंकि जबड़े खून सने हैं

आप बड़े चिंतित हैं मेरे पिछड़ेपन के मारे
आप सोचते हैं कि सीखता यह भी ढंग हमारे
मैं उतारना नहीं चाहता जाहिल अपने बाने
धोती–कुरता बहुत जोर से लिपटाए हूं याने !

– भवानी प्रसाद मिश्र

समाचार

जेलों में गांधी–विचार :

क्षणिक आवेग के परिणामस्वरूप किए गए अपराधों की सजा काट रहे कैदियों में जागरूकता की भावना पैदा हो और वे सत्य, शांति व अहिंसा का मार्ग अपनायें, इस उद्देश्य से सर्वोदय मंडल पिछले 17 वर्षों से, मुंबई और महाराष्ट्र की विभिन्न जेलों में "गांधी शांति परीक्षा" और अन्य सुधारात्मक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इसे जेल के कैदियों के साथ–साथ अधिकारी व कर्मचारी वर्ग की ओर से भी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। इस वर्ष भी अक्टूबर महीने में भी गांधी–जयंती के अवसर पर ठाणे, धुले, बुलढाणा एवं बिहार के सीतामंढ़ी जेलों में करीब 1,182 कैदियों के लिए गांधी–परीक्षा का आयोजन किया गया। इन सभी बंदियों को प्रमाण–पत्र देकर तथा प्रथम तीन विजेताओं को पुरस्कार स्वरूप खादी के वस्त्र देकर सम्मानित किया जाता है। परीक्षा के बाद कैदियों की विचारधारा में बदलाव देखा गया है। कई कैदी अपनी प्रतिक्रियाओं में भविष्य में गांधी के विचारों का पालन करने का निश्चय जताते हैं।

इसके अलावा कल्याण मध्यवर्ती जेल में गांधी अध्ययन केंद्र, बिर्ला कॉलेज के संयुक्त तत्त्वावधान में बंदियों के लिए 'निबंध प्रतियोगिता' आयोजित की गई, जिसमें 21 बंदी सहभागी हुए।

गांधी वेबसाइट :

गांधी–जयंती के अवसर पर हमारी गांधी वेबसाइट www.mkgandhi.org की दुनिया भर के कुल 202 देशों से लाखों लोगों ने गांधीजी के जीवन व कार्यों के विषय में जानकारी ली। 2 अक्टूबर गांधी–जयंती के एक दिन में ही कुल 40,000 से ज्यादा लोगें ने गांधी वेबसाइट का उपयोग किया।

Know Gandhi quiz (Online):

गांधी–जयंती 2 अक्टूबर के अवसर पर 'Know Gandhi quiz (Online)' का आयोजन किया गया। इसके तहत गांधीजी के जीवन और कार्य पर आधारित 10 प्रश्न पूछे गए और सभी प्रश्नों का सही उत्तर देने वालों को गांधीजी की आत्मकथा 'मेरे सत्य के प्रयोग' पुस्तक भेंट में दी गई। सभी प्रतियोगियों को ई–मेल के माध्यम से 'डिजिटल प्रमाण पत्र' भेजा गया था। यह प्रश्नावली http://quiz.mkhsnfhi.oh पर उपलब्ध है।

उपरोक्त सभी कर्यक्रमों के सफल आयोजन में मुम्बई सर्वोदय मण्डल के कार्यकर्ताओं एवं सदस्यों का सक्रिय सहयोग रहा।

– मुम्बई सर्वोदय मण्डल–कार्यालय से

स्वामी गांधी स्मारक निधि के लिए राजघाट, नई दिल्ली–110002 से संजय सिंह, गांधी स्मारक निधि द्वारा प्रकाशित व मुद्रित
जैन ऑफसेट प्रिंटर्स, 198/2–1, फारचुन टावर, रमेश मार्केट, नई दिल्ली–110065
सम्पादक – रामचन्द्र राही